लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स दशमेश कांट्रेक्टर, प्रस्तावकः श्री हर्षविंदर सिंह, पिताः श्री गुरदीप सिंह, पताः 14/30 ए, पहली मंजिल, तिलक नगर, नई दिल्ली–110018 (ब्लॉकः 40 (गया बुढ़ नदी बालू घाट संख्याः 04/05/06/07/08), ग्रामः करेया, परारिया, रूपसपुर, खानेतु, कुर्मवान, मझियावां, मरांची, खैरा मोबारकपुर, रामडीह, अंचलः टेकारी, परारिया, कोंच जिला–गया) का गया जिला अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् दिनांक 12.10.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय, परैया, जिला–गया के प्रागंण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2363/2023, dated 25.04.2023 के आलोक में श्री अंजनी कुमार, अपर समाहर्ता, गया (जिला पदाधिकारी, गया के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 12.10.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय, परैया, जिलाः गया में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न **(अनुलग्नक–1)**

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक भास्कर एवं हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 09.09.2023 को प्रकाशित की गयी थी **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक–सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गया द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा (ब्लॉकः 40 (गया बुढ़ नदी बालू घाट संख्याः 04/05/06/07/08), ग्रामः करेया, परारिया, रूपसपुर, खानेतु, कुर्मवान, मझियावां, मरांची, खैरा मोबारकपुर, रामडीह, अंचलः टेकारी, परारिया, कोंच जिला–गया) के लेसी प्रतिनिधि को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तद्नुसार लेसी प्रतिनिधि के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उदेश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव मॉगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नितीश कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री भोला शर्मा, पिताः प्रहलाद सिंह, पताः करैया, जिलाः गया।	इनके द्वारा बरसात के दिनो में मिट्टी के कटाव एवं पानी का छिड़काव से ग्रामीण सड़क खराब होने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि नदी के किनारे से 40 फीट की दूरी पर ही बालू खनन का कार्य किया जायेगा तथा खनन अवधि में लगभग 650 पौधो का वृक्षारोपण किया जायेगा अगर और आवश्यकता पड़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण किया जायेगा, जिससे की मिट्टी का कटाव नहीं हो। साथ ही सड़क पर उतना ही पानी का छिड़काव किया जायेगा, जिससे धुल–कण का उत्सर्जन न हो सके अगर पानी छिड़काव से ग्रामीण सड़क टुटेगा तो उसकी मरम्मती लेसी द्वारा कराया जायेगा।

		इसप्रकार श्री भोला शर्मा को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
2.	श्री गोलु कुमार, पिताः बबन शर्मा, पताः खानेतु, जिलाः गया।	इनके द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या निति है एवं कितने पेड़ लगाने है से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि **वायु प्रदूषण नियंत्रण की रोक–थाम हेतु निम्न कार्य किया जायेगाः**–बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर परिवहन किया जायेगा साथ ही खनन क्षेत्र के आस–पास सड़क के किनारे लगभग 650 पौधो का वृक्षारोपण किया जायेगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों के कृषि भूमि पर धुलकण का कुप्रभाव न हो। **जल प्रदूषण नियंत्रण की रोक–थाम हेतु निम्न कार्य किया जायेगाः**–बालू खनन क्षेत्र में बालू की खुदाई 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। **ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण की रोक–थाम हेतु निम्न कार्य किया जायेगाः**–लेसी के द्वारा पुराने वाहनो का संचालन नही करने का निदेश दिया गया। साथ ही तीव्र ध्वनि वाले हॉर्न का उपयोग नही करेगें। इन सभी कार्यो को करने से पर्यावरण को क्षति नही पुहॅचेगी तथा बालू खनन से सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। इसप्रकार श्री गोलु कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
3.	श्री अरूण यादव, पिताः चन्द्रशेखर यादव, पताः परैया,	इनके द्वारा बालू खनन होने पर स्थानीय नागरीको को रोजगार मिलने एवं ज्यादा गहराई तक बालू खनन कार्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया।

	जिलाः गया।	इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधो के देख–रेख एवं अन्य कार्यो में स्थानीय नागरीको को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। साथ ही बालू खनन क्षेत्र में बालू की खुदाई 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक ही किया जायेगा। इसप्रकार श्री अरूण यादव को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
4.	श्री विकास कुमार, पिताः प्रकाश शर्मा, पताः परैया, जिलाः गया।	इनके द्वारा बालू खनन के समय ठिकेदार द्वारा ज्यादा गहराई तक खनन कार्य किया जाता है, जिससे नदी में बच्चो को डूबने की आशंका बनी रहती है; से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहाकार द्वारा बताया गया कि इस परियोजना से संबंधित 03 मीटर तक की गहराई तक ही खनन का कार्य किया जायेगा। इससे ज्यादा कोई करता है, तो इसकी देख–रेख करने हेतु जिला खनन विकास पदाधिकारी को समय–समय पर जॉच करने का आदेश अपर समाहर्ता द्वारा दिया गया है। इसप्रकार श्री विकास कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
5.	श्री त्रृषि कुमार, पिताः रामवृक्ष यादव, पताः परैया, जिलाः गया।	इनके द्वारा बालू खनन के पश्चात् बालू का उठाव कैसे किया जायेगा से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू खनन के पश्चात् बालू का उठाव ज्यादा से ज्यादा स्थानीय मजदूरो के द्वारा किया जायेगा तथा कभी कभी मशीनो द्वारा भी किया जायेगा। इसप्रकार श्री त्रृषि कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के कम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। घाटो पर बालू की खुदाई 3 मीटर गहराई तक ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

जन–सुनवाई के अतं में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी बि.स.प्र.नि.पर्षद, गया	अपर समाहर्त्ता, गया

उपस्थिति सूची

मेसर्स दशमेश कांट्रेक्टर, प्रस्तावकः श्री हर्षविंदर सिंह, पिताः श्री गुरदीप सिंह, पताः 14/30 ए, पहली मंजिल, तिलक नगर, नई दिल्ली–110018 (ब्लॉकः 40 (गया बुद्ध नदी बालू घाट संख्या 04/05/06/07/08), ग्रामः करेया, परारिया, रूपसपुर, खानेतु, कुर्मवान, मझियावां, मरांची, खैरा मोबारकपुर, रामडीह, अंचलः टेकारी, परारिया, कोंच जिला–गया) का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांकः 12.10.2023 को 10:00 बजे पूर्वाह्न में अंचल कार्यालय, परैया, जिला–गया में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	अंजनि कुमार अपर समाहर्ता		[signature] 12.10.23
2.	मनोरंजन कुमार सिंह	क्षेत्रीय पदाधिकारी, बि० प्र० नि० पर्षद गया	[signature] 12.10.23
3.	निधि भारती	जिला विकास पदा० गया	[signature] 12.10.23
4.	नीतीश कुमार	Cognizance Research India Pvt Ltd. (Env. Consult) Noida.	Nitish Ku
5.	(प्रोपराईटर) अनिल कुमार (संवेदक) 8763081744	संवेदक, मेसर्स दशमेश कॉन्ट्रेक्टर	अनिल कुमार
6.	सुरेन्द्र यादव	ग्राम इंगलिश प० परैया	सुरेन्द्र यादव
7.	अरुण यादव	ग्राम परैया	अरुण यादव
8.	सुनील यादव	मकनियामा	सुनील यादव

9.	अजण कुमार	खैरा मोवारकपुर	अरुण
10.	महेन्द्र भगत	पवैया मकुंद	महेन्द्र भगत
11.	मुकेश कुमार	मकीयावी	मुकेश कुमार
12.	रामकुमार पासवान स्व॰ श्यामदेव पा॰	जुगालपुर	रामकुमार पा॰
13.	रजनीकांत पा॰ पिता, रमाशंकर पा॰	खैरा 7485086795	रजनीकांत पा॰
14.	राजेन्द्र पासवान पिता	कलिया 9262367818	राजेन्द्र पासवान
15.	राजदेव यादव	रुपसपुर	राजदेव यादव
16.	वंशी यादव	फरैया	वंशी यादव
17.	चितरंजन कुमार	रामडीह	चितरंजन कुमार
18.	पंकज कुमार	रुपसपुर	पंकज कुमार
19.	अभिषेक कुमार	रवैरा	अभिषेक कुमार

20.	रघु प्रमोद कुमार	रवनेदु	प्रमोद कुमार
21.	विक्रम	परैया	vikram
22.	अरविंद कुमार	रवजेदु	अरविंद कुमार
23.	चन्दन कुमार	सनेटु	चन्दन कुमार
24.	धर्मेन्द्र सिंह	भिखारी कामता बिगहा	धर्मेन्द्र सिंह
25.	मुरारी यादव विजय यादव	परैया	मुरारी यादव
26.	रामदेव यादव पिता - जितन यादव	ग्राम - रामडीह, गया	
27.	धीरेन्द्र कुमार पिता - देवेन्द्र यादव.	ग्राम - मंझियावाँ	धीरेन्द्र कुमार
28.	अनिकेत कुमार पिता - रवीन्द्र शर्मा	ग्राम - कोख्या	अनिकेत कुमार
29.	गोलू कुमार पिता - [illegible] शर्मा	ग्राम - रवनेटु	गोलू कुमार
30.	संतोष कुमार पिता - रामेश्वर प्रसाद	ग्राम - कविमा	Santosh Kum

31.	संजीव कुमार पिता श्रीरमा केवल सिंह	बाला बिगहा	संजीव कुमार
32.	सौरभ कुमार पिता - रामाशीष प्रसाद	ग्राम करसिमा	सौरभ कुमार
33.	निरंजन कुमार पिता - राजेन्द्र यादव	ग्राम करैया 9142150740	निरंजन कुमार
34.	जय पासवान पिता - इतवार पासवान	ग्राम- परानपुर	
35.	प्रमोद यादव पिता स्व रामनन्दन	ग्राम = खनैद 9097798641	Pramod
36.	भोला सिंह पिता - दुखमा सिंह	ग्राम - करैया 6200829979	Bhola
37.	Vikas Kr. Jitendra Yadav	Village Balganj 7479486118	[illegible]
38.	नारायण कुमार पिता - रामाश्रय शर्मा	ग्राम करैया 9546898698	[illegible]
39.	अविनाश कुमार	[illegible] पिता स्व शिवनन्द [illegible]	[illegible]
40.	अनीष कुमार पिता स्व रामविनय शर्मा	ग्राम कुसाप 7091999153	[illegible]
41.	कुन्दन कुमार पिता किशोरी शर्मा	ग्राम करैया 9771538280	[illegible]